

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2548

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 मार्च, 2017/26 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया गया)

चिटफंड/घोटाले की रोकथाम हेतु केन्द्रीय संस्था

2548. श्री राघव लखनपाल :

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चिट फंड और मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों/योजनाओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी के मामलों की रोकथाम हेतु एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना के लिए गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) सहित विभिन्न वर्गों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): जी, नहीं। ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।
